



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2977]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938

No. 2977]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

सं. 119/2016

का.आ. 4082(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की का.आ. संख्या 4033(अ) द्वारा दिनांक 14.12.2016 की अधिसूचना संख्या 114/2016 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, की अंतिम पंक्ति में आए “दिस” के स्थान पर “दा” पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 119/2016/फा. सं. 500/02/2015 – एफटी & टीआर-III]

ई. वी. भास्कर, अवर सचिव